(10) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
National Disabled Finance and Development Corporation

उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने व स्वः रोजगार स्थापित करने हेतु राज्य में हि0 प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (चैन्लाइजिंग ऐसेन्सी) के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना।

पात्रता ऐसे बेरोजगार हिमाचली विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो व जिनकी वार्षिक आय 3,00000/–रु0 (ग्रामीण क्षेत्र) एव 5,00,000/–रु0 (शहरी क्षेत्र) से कम हो।

सहायता विभिन्न व्यवसाय स्थापित करने के लिए 25,00,000/–रु0 तक ऋण 5 से 8 प्रतिशत व्याज की दर पर उपलब्ध करवाना। विकलांग महिलाओं हेतु इस ब्याज की दर में 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी को विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा जिस कार्य हेतु उसे अनुदान चाहिए का प्राकलन तथा जमानती दस्तावेज सलंग्न कर भिजवाने होते है।

सम्पर्क–अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम/सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।